

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी (म0प्र0)

// कार्य विभाजन आदेश //

क्रमांक : **/पांच-१-१/2002**

कटनी, दिनांक : 24.06.2023

मध्य प्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 21(4) तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 10 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, धरमिंदर सिंह राठौड़, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी, पूर्व में जारी किये गये कार्य विभाजन सम्बंधी समस्त आदेशों को निरस्त करते हुये निम्नानुसार नवीन कार्य विभाजन आदेश जारी करता हूँ :—

सरल क्रमांक	न्यायालय का नाम	क्षेत्रा- इकार	कार्यविभाजन का विवरण
1	2	3	4
1 (अ)	सत्र न्यायाधीश कटनी	सम्पूर्ण सत्र खण्ड कटनी	<p>1— सत्र प्रकरण</p> <p>2— दाइडक अपील</p> <p>3— दाइडक पुनरीक्षण</p> <p>4— जमानत आवेदन पत्र एवं विविध दाइडक प्रकरण</p> <p>5— मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने वाले आवेदन</p> <p>6— दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दाइडक प्रकरण अंतरण किये जाने सम्बंधी आवेदन पत्र</p> <p>7— सत्र न्यायाधीश कटनी के समक्ष प्रस्तुत होने वाले एवं सुनवाई योग्य वे सभी दाइडक प्रकरण एवं आवेदन पत्र, जिनका उल्लेख इस कार्यविभाजन आदेश में अंकित नहीं हो सका है।</p>
1 (ब)	प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी	सम्पूर्ण राजस्व जिला कटनी	<p>1— समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कटनी/बरही/ ढीमरखेड़ा द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली सभी नियमित एवं विविध सिविल अपीलें</p> <p>2— समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कटनी / बरही, ढीमरखेड़ा, के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली सभी नियमित एवं विविध सिविल अपीलें</p> <p>3— आरक्षी केंद्र कुठला, बड़वारा एवं अन्य जिलों के आरक्षी केंद्रों के अंतर्गत होने वाली मोटर दुर्घटनाओं से सम्बंधित, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी क्लेम प्रकरण</p> <p>4— धारा 24 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सिविल प्रकरणों के अंतरण सम्बंधी आवेदन पत्र</p> <p>5— विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 20 ख के अंतर्गत अधोसंरचना(Infrastructure) परियोजनाओं से सम्बंधित संविदाओं के बारे में पेश होने वाले दावे</p> <p>6— तहसील कटनी, बरही, ढीमरखेड़ा, रीठी, बड़वारा, बहोरीबंद से उत्पन्न होने वाले जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य वे सभी सिविल मामले जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन आदेश में नहीं हो सका है</p>
2 (अ)	विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति	सम्पूर्ण सत्र खण्ड	<p>1— सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी दाइडक प्रकरण</p> <p>2— सम्पूर्ण सत्र खण्ड कटनी से उत्पन्न वे सभी दाइडक मामले,</p>

	अत्याचार निवारण अधिनियम) कटनी	कटनी	जमानत आवेदन एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां जिनमें अन्य धाराओं के साथ साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत धारायें अधिरोपित की गई हैं (पॉक्सो एकट के मामलों को छोड़कर)
2 (ब)	प्रथम जिला न्यायाधीश कटनी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश	सम्पूर्ण राजस्व जिला कटनी	1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण
3 (अ)	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटनी	सम्पूर्ण सत्र खण्ड कटनी	1— सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी दाइडिक प्रकरण 2— सम्पूर्ण सत्र खण्ड कटनी से उत्पन्न वे सभी दाइडिक मामले, जमानत आवेदन एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां जिनमें अन्य धाराओं के साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3(1) के अंतर्गत खण्ड क तथा खण्ड ख में वर्णित मामलों के अंतर्गत धारायें अधिरोपित की गई हैं।
3 (ब)	प्रथम जिला न्यायाधीश कटनी	सम्पूर्ण राजस्व जिला कटनी	1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण
4(अ)	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कटनी	सम्पूर्ण सत्र खण्ड कटनी	1— सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी दाइडिक प्रकरण 2— सम्पूर्ण सत्र खण्ड कटनी से उत्पन्न वे सभी दाइडिक मामले, जमानत आवेदन एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां जिनमें अन्य धाराओं के साथ साथ स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत धारायें अधिरोपित की गई हैं 3— अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 एवं उससे सम्बंधित अन्य दाइडिक मामलों 4— नेशनल इंवेस्टिगेशन ऐजेंसी एकट के अधीन अन्वेषित मामले
4 (ब)	द्वितीय जिला न्यायाधीश कटनी		1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण
5 (अ)	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कटनी		1— सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी दाइडिक प्रकरण
5 (ब)	तृतीय जिला न्यायाधीश कटनी		1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2— माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च में तहसील कटनी, बरही, ढीमरखेड़ा, रीठी, बड़वारा, बहोरीबंद से उत्पन्न होने वाले एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के समस्त व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न होने वाले निष्पादन एवं विविध सिविल प्रकरण 3— आरक्षी केंद्र बरही, कोतवाली एवं रंगनाथ नगर के अंतर्गत

			<p>होने वाली मोटर दुर्घटनाओं से सम्बंधित, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी क्लेम केस</p> <p>4— माह जनवरी, फरवरी, मार्च एवं अप्रैल में प्रस्तुत होने वाले जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य, आर्बोट्रेशन एवं काउंसिलियेशन अधिनियम 1996 के अंतर्गत समस्त निष्पादन एवं अन्य प्रकरण</p> <p>5— म.प्र. पंचायत अधिनियम 1952 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य सिविल प्रकरण</p> <p>6— स्थूनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली समस्त अपीलें, आवेदन एवं चुनाव याचिकाएँ</p>
6 (अ)	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश कटनी	सम्पूर्ण सत्र खण्ड कटनी	<p>1— सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी दार्पणिक प्रकरण</p>
6 (ब)	चतुर्थ जिला न्यायाधीश कटनी	सम्पूर्ण राजस्व जिला कटनी	<p>1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण</p>
7 (अ)	पंचम अपर सत्र न्यायाधीश रिक्त न्यायालय	सम्पूर्ण सत्र खण्ड कटनी	<p>1— सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी दार्पणिक प्रकरण</p>
7 (ब)	पंचम जिला न्यायाधीश कटनी रिक्त न्यायालय	सम्पूर्ण राजस्व जिला कटनी	<p>1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण</p>
8 (अ)	षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश	सम्पूर्ण सत्र खण्ड कटनी	<p>1— सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी दार्पणिक प्रकरण</p> <p>2— सम्पूर्ण सत्र खण्ड कटनी से उत्पन्न वे सभी दार्पणिक मामले, जमानत आवेदन एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां जिनमें अन्य धाराओं के साथ साथ विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत धारायें अधिरोपित की गई हैं।</p>
8 (ब)	षष्ठम जिला न्यायाधीश कटनी	सम्पूर्ण राजस्व जिला कटनी	<p>1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण</p> <p>2— माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में तहसील कटनी, बरही, ढीमरखेड़ा, रीठी, बड़वारा, बहोरीबंद से उत्पन्न होने वाले एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के समस्त व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न होने वाले निष्पादन एवं विविध सिविल प्रकरण</p> <p>3— आरक्षी केंद्र बहोरीबंद एवं बाकल के अंतर्गत होने वाली मोटर दुर्घटनाओं से सम्बंधित, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी क्लेम प्रकरण</p> <p>4— लघुवाद अधिनियम 1877 के अंतर्गत 501 रुपये से अधिक मूल्य के समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाले निष्पादन एवं विविध सिविल प्रकरण</p>

			5— भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 सम्बंधी प्रकरण
9 (अ)	सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश कटनी	सम्पूर्ण सत्र खण्ड कटनी	1— सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी दार्पणिक प्रकरण
9 (ब)	सप्तम जिला न्यायाधीश कटनी	सम्पूर्ण राजस्व जिला कटनी	1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण
10 (अ)	अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश कटनी रिक्त न्यायालय	सम्पूर्ण सत्र खण्ड कटनी	1— सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी दार्पणिक प्रकरण
10 (ब)	अष्टम जिला न्यायाधीश कटनी रिक्त न्यायालय	सम्पूर्ण राजस्व जिला कटनी	1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण
11 (अ)	नवम अपर सत्र न्यायाधीश कटनी	सम्पूर्ण सत्र खण्ड कटनी	1— सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी दार्पणिक प्रकरण
11 (ब)	नवम जिला न्यायाधीश कटनी	सम्पूर्ण राजस्व जिला कटनी	1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2— माह अप्रैल, मई एवं जून में तहसील कटनी, बरही, ढीमरखेड़ा, रीठी, बडवारा, बहोरीबंद से उत्पन्न होने वाले एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के समस्त व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न होने वाले निष्पादन एवं विविध सिविल प्रकरण 3— आरक्षी केंद्र माधवनगर, एन.के.जे. एवं स्लीमनाबाद के अंतर्गत होने वाली मोटर दुर्घटनाओं से सम्बंधित, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी कलेम प्रकरण 4— माह अप्रैल, मई एवं जून में प्रस्तुत होने वाले तथा जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य, आर्बांट्रेशन एवं काउंसिलियेशन अधिनियम 1996 के अंतर्गत समस्त निष्पादन एवं अन्य प्रकरण 5— माह मई, जून, जुलाई एवं अगस्त में प्रस्तुत होने वाले जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य, आर्बांट्रेशन एवं काउंसिलियेशन अधिनियम 1996 के अंतर्गत निष्पादन एवं अन्य प्रकरण 6— मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य समस्त आवेदन पत्र 7— दिवालिया अधिनियम 1920 के अंतर्गत 5000/- रुपये से अधिक मूल्य के सिविल प्रकरण तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य अपीलें

12 (अ)	दशम अपर सत्र न्यायाधीश कटनी रिक्त न्यायालय	सम्पूर्ण सत्र खण्ड कटनी	1– सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी दाइडक प्रकरण
12 (ब)	दशम जिला न्यायाधीश कटनी रिक्त न्यायालय	सम्पूर्ण राजस्व जिला कटनी	1– जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण
13 (अ)	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटनी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश	सम्पूर्ण सत्र खण्ड कटनी	1– सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये दाइडक प्रकरण 2– निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश के सुनवाई योग्य दाइडक मामले
13 (ब)	प्रथम जिला न्यायाधीश कटनी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश	सम्पूर्ण राजस्व जिला कटनी	1– जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2– माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर में तहसील कटनी, बरही, ढीमरखेड़ा, रीठी, बड़वारा, बहोरीबंद से उत्पन्न होने वाले एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के समस्त व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न होने वाले निष्पादन एवं विविध सिविल प्रकरण 3– आरक्षी केंद्र रीठी, ढीमरखेड़ा एवं उमरियापान के अंतर्गत होने वाली मोटर दुर्घटनाओं से सम्बंधित, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी कलेम केस 4– माह सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर में प्रस्तुत होने वाले तथा जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य, आर्बाट्रेशन एवं काउंसिलियेशन अधिनियम 1996 के अंतर्गत निष्पादन एवं अन्य प्रकरण 5– किराया नियंत्रण अथारिटी कटनी (मुड़वारा) की अपीलें 6– भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग 10 के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य अन्य सभी प्रकरण।
14 (अ)	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटनी के न्यायालय के चतुर्थ	सम्पूर्ण सत्र खण्ड	1– सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी दाइडक प्रकरण 2– सम्पूर्ण सत्र खण्ड कटनी से उद्भूत वे सभी दाइडक मामले, जमानत आवेदन एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां जिनमें अन्य धाराओं के साथ साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो एक्ट) के अंतर्गत धारायें अधिरोपित की गई हैं
14 (ब)	प्रथम जिला न्यायाधीश कटनी के न्यायालय के चतुर्थ	सम्पूर्ण राजस्व जिला	1– जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण

	अतिरिक्त न्यायाधीश	कटनी	
15 (अ)	अपर सत्र न्यायाधीश लिंक कोर्ट विजयराघवगढ़		<p>1— सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी दाण्डिक प्रकरण</p> <p>2— प्रत्येक माह की 21 से 30 तारीख के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश लिंक कोर्ट विजयराघवगढ़ की बैठक तिथियों में आरक्षी केंद्र विजयराघवगढ़ एवं कैमोर से उद्भूत तथा सत्र न्यायाधीश के सुनवाई योग्य पेश होने वाले समस्त जमानत आवेदन पत्र</p>
15 (ब)	जिला न्यायाधीश श्रंखला न्यायालय, विजयराघवगढ़	राजस्व तहसील विजयराघवगढ़	<p>1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण</p> <p>2— तहसील विजयराघवगढ़ से उद्भूत एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के समस्त व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न होने वाले निष्पादन एवं विविध सिविल प्रकरण</p> <p>3— समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड विजयराघवगढ़ एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड विजयराघवगढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली सभी नियमित एवं विविध सिविल अपीलें</p> <p>4— आरक्षी केंद्र विजयराघवगढ़ एवं कैमोर के अंतर्गत होने वाली मोटर दुर्घटनाओं से सम्बंधित, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी क्लेम प्रकरण</p> <p>5— तहसील विजयराघवगढ़ से उद्भूत तथा जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य वैवाहिक विवाद तथा गार्जियन्स एवं वार्ड्स एक्ट सम्बंधी समस्त मामले</p> <p>5— तहसील विजयराघवगढ़ से उद्भूत तथा जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य वे सभी सिविल मामले जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन आदेश में नहीं हो सका है</p>
16	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कटनी	राजस्व जिला कटनी	<p>1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण</p> <p>2— माह जनवरी एवं फरवरी में तहसील कटनी (मुडवारा), रीठी, बहोरीबंद एवं बड़वारा से उद्भूत होने वाले नियमित व्यवहार वाद, पांच लाख एक रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये मूल्य तक तथा उनसे उत्पन्न होने वाले सभी विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण</p> <p>3— तहसील कटनी (मुडवारा), रीठी, बहोरीबंद एवं बड़वारा से उत्पन्न होने वाले एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड तथा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के सुनवाई योग्य वे सभी सिविल मामले जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं हो सका है।</p>
17	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कटनी	राजस्व जिला कटनी	<p>1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण</p>
18	तृतीय व्यवहार	राजस्व	<p>1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये</p>

	न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कटनी	जिला कटनी	जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2— माह मार्च एवं अप्रैल में तहसील कटनी (मुडवारा), रीठी, बहोरीबंद एवं बड़वारा से उद्भूत होने वाले नियमित व्यवहार वाद, पांच लाख एक रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये मूल्य तक तथा उनसे उत्पन्न होने वाले सभी विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण 3— लघुवाद अधिनियम 1887 के अंतर्गत 1 रुपये से लेकर 500 रुपये तक स्मॉल कॉज सूट
19	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कटनी	राजस्व जिला कटनी	1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण
20	पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कटनी	राजस्व जिला कटनी	1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2— माह मई एवं जून में तहसील कटनी (मुडवारा), रीठी, बहोरीबंद एवं बड़वारा से उद्भूत होने वाले नियमित व्यवहार वाद, पांच लाख एक रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये मूल्य तक एवं उत्पन्न होने वाले सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण 3— दिवालिया अधिनियम 1920 के अन्तर्गत 1=00 रुपये से लेकर 50,000=00 रुपये मूल्य तक के प्रकरण।
21	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कटनी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश	राजस्व जिला कटनी	1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2— माह जुलाई एवं अगस्त में तहसील कटनी (मुडवारा), रीठी, बहोरीबंद एवं बड़वारा से उद्भूत होने वाले नियमित व्यवहार वाद, पांच लाख एक रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये मूल्य तक एवं उत्पन्न होने वाले सभी विविध प्रकरण एवं निष्पादन 3— भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग—10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकरण
22	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कटनी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश	राजस्व जिला कटनी	1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2— माह सितम्बर एवं अक्टूबर में तहसील कटनी (मुडवारा), रीठी, बहोरीबंद एवं बड़वारा से उद्भूत होने वाले नियमित व्यवहार वाद, पांच लाख एक रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये मूल्य तक एवं उत्पन्न होने वाले सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण
23	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कटनी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश	राजस्व जिला कटनी	1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2— माह नवम्बर एवं दिसम्बर में तहसील कटनी (मुडवारा), रीठी, बहोरीबंद एवं बड़वारा से उद्भूत होने वाले व्यवहार वाद, पांच लाख एक रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये मूल्य तक एवं उनसे उत्पन्न होने वाले सभी निष्पादन एवं विविध सिविल प्रकरण 3— मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अन्तर्गत व्यवहार न्यायाधीश के सुनवाई योग्य अपीलें

24	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय कटनी	तहसील कटनी (मुङ्वार)	<p>1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण</p> <p>2— राजस्व तहसील कटनी की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतों को सम्मिलित करते हुये जहां तक कटनी जनपद पंचायत का क्षेत्राधिकार विस्तारित है, से उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित समस्त सिविल प्रकरण</p> <p>नोट— न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय कटनी के सुनवाई क्षेत्राधिकार में नगर निगम कटनी की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र तथा अन्य किसी तहसील के क्षेत्र सम्मिलित नहीं होंगे।</p>
25	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, विजयराघवगढ़	व	<p>1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण</p> <p>2— माह जुलाई से दिसम्बर तक तहसील विजयराघवगढ़ से उद्भूत होने वाले नियमित व्यवहार वाद, एक रूपये से लेकर एक करोड़ रूपये तक तथा उनसे उत्पन्न होने वाले सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण</p> <p>3— तहसील विजयराघवगढ़ से उत्पन्न होने वाले तथा व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ एवं कनिष्ठ खण्ड के सुनवाई योग्य सक्सेशन प्रमाणपत्र सम्बंधी समस्त प्रकरण</p> <p>4— तहसील विजयराघवगढ़ से उत्पन्न होने वाले एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड तथा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के सुनवाई योग्य वे सभी सिविल मामले जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं हो सका है।</p>
26	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, विजयराघवगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश		<p>1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण</p> <p>2— माह जनवरी से जून तक तहसील विजयराघवगढ़ से उद्भूत होने वाले नियमित व्यवहार वाद, एक रूपये से लेकर एक करोड़ रूपये तक तथा उनसे उत्पन्न होने वाले सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण</p>
27	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ढीमरखेड़ा		<p>1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण</p> <p>2— तहसील ढीमरखेड़ा से उद्भूत होने वाले नियमित व्यवहार वाद, एक रूपये से लेकर एक करोड़ रूपये मूल्य तक एवं सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण</p> <p>3— तहसील ढीमरखेड़ा से उत्पन्न होने वाले तथा व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ एवं कनिष्ठ खण्ड के सुनवाई योग्य सक्सेशन प्रमाणपत्र सम्बंधी समस्त प्रकरण</p> <p>4— तहसील ढीमरखेड़ा से उत्पन्न होने वाले एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड तथा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के सुनवाई योग्य वे सभी सिविल मामले जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं हो सका है।</p>
28	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बरही		<p>1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण</p> <p>2— तहसील बरही से उद्भूत होने वाले नियमित व्यवहार</p>

			<p>वाद, एक रूपये से लेकर एक करोड़ रूपये मूल्य तक एवं उनसे उत्पन्न होने वाले सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण</p> <p>3— तहसील बरही से उत्पन्न होने वाले तथा व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ एवं कनिष्ठ खण्ड के सुनवाई योग्य सक्सेशन प्रमाणपत्र सम्बंधी समस्त प्रकरण</p>
			<p>4— तहसील बरही से उत्पन्न होने वाले एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड तथा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के सुनवाई योग्य वे सभी सिविल मामले जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं हो सका है।</p>
29	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कटनी		<p>1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण</p> <p>2— माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च में तहसील कटनी (मुडवारा), रीठी, बहोरीबंद एवं बड़वारा से उद्भूत होने वाले व्यवहार वाद, एक रूपये से लेकर पांच लाख रूपये मूल्य तक एवं उनसे उत्पन्न होने वाले सभी निष्पादन एवं विविध सिविल प्रकरण</p>
30	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कटनी रिक्त न्यायालय	राजस्व जिला कटनी	<p>1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण</p>
31	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कटनी	राजस्व जिला कटनी	<p>1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण</p> <p>2— माह अप्रैल, मई, एवं जून में तहसील कटनी (मुडवारा), रीठी, बहोरीबंद एवं बड़वारा से उद्भूत होने वाले व्यवहार वाद, एक रूपये से लेकर पांच लाख रूपये मूल्य तक एवं उनसे उत्पन्न होने वाले सभी निष्पादन एवं विविध सिविल प्रकरण</p>
32	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कटनी रिक्त न्यायालय	राजस्व जिला कटनी	<p>1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण</p>
33	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कटनी रिक्त न्यायालय	राजस्व जिला कटनी	<p>1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण</p>
34	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कटनी	राजस्व जिला कटनी	<p>1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण</p> <p>2— माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में तहसील कटनी (मुडवारा), रीठी, बहोरीबंद एवं बड़वारा से उद्भूत होने वाले व्यवहार वाद, एक रूपये से लेकर पांच लाख रूपये मूल्य तक एवं उनसे उत्पन्न होने वाले सभी निष्पादन एवं विविध सिविल</p>

			प्रकरण
35	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कटनी रिक्त न्यायालय	राजस्व जिला कटनी	1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण
36	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कटनी	राजस्व जिला कटनी	1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण 2— माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर में तहसील कटनी (मुडवारा), रीठी, बहोरीबंद एवं बड़वारा से उद्भूत होने वाले व्यवहार वाद, एक रूपये से लेकर पांच लाख रूपये मूल्य तक एवं उनसे उत्पन्न होने वाले सभी निष्पादन एवं विविध सिविल प्रकरण
37	नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कटनी	राजस्व जिला कटनी	1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण
38	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कटनी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश	राजस्व जिला कटनी	1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण
39	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कटनी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश	राजस्व जिला कटनी	1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण
40	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कटनी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश	राजस्व जिला कटनी	1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण
41	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड विजयराघवगढ़ रिक्त न्यायालय	राजस्व जिला कटनी	1— जिला न्यायाधीश कटनी द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सभी सिविल प्रकरण

नोट :-

- 1— यह कार्य विभाजन आदेश, जारी होने के दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
- 2— व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश-4 नियम-1 के अंतर्गत तथा मध्य प्रदेश व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम-37 के पालन में सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण अपने स्व-हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले मामलों को प्राप्त करने एवं उनकी रीडर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अपने न्यायालय में पदस्थ सिविल प्रस्तुतकारों को प्राधिकृत करेंगे।

3— न्यायालयों में प्रस्तुत होने वाले मामलों की जांच, परीक्षण, मूल्यांकन, न्याय शुल्क में छूट की जांच आदि सम्बंधित विभिन्न कार्यवाहियों हेतु मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम-37 की टिप्पणी-1 के अंतर्गत वर्णित कर्तव्यों के निष्पादन हेतु न्यायालय में पदस्थ सिविल प्रस्तुतकारों को प्राधिकृत किया जाता है।

4— न्यायालयों में पूर्व से लम्बित समस्त सिविल एवं आपराधिक कार्य अप्रभावित रहेंगे। इस कार्य विभाजन आदेश का पालन एवं मान्. उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय म.प्र./ म.प्र. शासन द्वारा जारी की जाने वाली नई अधिसूचनाओं का पालन नये पेश होने वाले मामलों में किया जावेगा।

5— सुनवाई के दौरान खारिज किये गये किसी प्रकरण के पुर्नस्थापित होने की दशा में उक्त मूल प्रकरण की सुनवाई उसी न्यायालय के वर्तमान पीठासनी अधिकारी द्वारा की जावेगी, जिसके आदेशानुसार वह प्रकरण पूर्व में खारिज किया गया था।

6— न्यायिक स्थापना कटनी में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारीगण उनके न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले नये प्रकरणों में सुनवाई इस कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार करेंगे। न्यायालय में पेश हो चुके तथा लम्बित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में संशोधन के फलस्वरूप बीमा कम्पनियों / आरक्षी केंद्रों का नाम बदले जाने की स्थिति में भी सम्बंधित प्रकरण उसी न्यायालय में लम्बित माने जावेंगे। उनमें पृथक से मार्गदर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

7— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजयराघवगढ़ के सभी न्यायालयों द्वारा उपार्पित किये जाने वाले दापिडक प्रकरण तथा उक्त न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली दापिडक अपील एवं दापिडक पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, श्रंखला न्यायालय विजयराघवगढ़ द्वारा की जावेगी।

8— आरक्षी केंद्र विजयराघवगढ़ तथा कैमोर से उद्भूत मामलों के अंतर्गत प्रत्येक माह की 21 से 30 तारीख के दौरान प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदनपत्र (सत्र न्यायाधीश के सुनवाई योग्य) सीधे अपर सत्र न्यायाधीश लिंक कोर्ट विजयराघवगढ़ के समक्ष प्रस्तुत होंगे। सम्बंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने की दशा में उक्त जमानत आवेदन, जिला मुख्यालय में सत्र न्यायाधीश कटनी के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

9— मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति वसूली सम्बंधी मामलों को प्रस्तुत करने हेतु आवेदक यदि चाहे तो मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 166 (2) के अंतर्गत विकल्प के रूप में दावेदार के निवास स्थान / अनावेदक के निवास स्थान / अनावेदक के कारोबार का स्थान / वाहन दुर्घटना का स्थान आदि में से किसी एक स्थान के सुनवाई क्षेत्राधिकार के आधार पर अपने क्लेम प्रकरण सक्षम न्यायालय में पेश कर सकता है।

सही/-
(धरमिंदर सिंह राठौड़)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी (म.प्र.)